भारत सरकार

पंचायती राज मंत्रालय

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2296

दिनांक 15.03.2022 को उत्तरार्थ

स्वामित्व योजना के अंतर्गत अधिकारों का रिकॉर्ड

†2296. श्री विष्णु दत्त शर्मा:
डॉ. उमेश जी. जाधवः
श्रीमती रक्षा निखिल खाडसेः
श्री कराडी सनगन्ना अमरप्पाः
श्री एस. मुनिस्वामीः
श्री बी. वाई. राघवेन्द्रः
श्री तेजस्वी सूर्याः
श्री अण्णासाहेब शंकर जोल्लेः
श्री प्रताप सिम्हाः

क्या **पंचायती राज मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन राज्यों की संख्या कितनी है जहां स्वामित्व योजना लागू की जा रही है और योजना के अंतर्गत कितनी भूमि का सर्वेक्षण किया गया है तथा राज्य-वार भूमि का प्रतिशत कितना है;

(ख) उक्त योजना के अंतर्गत कर्नाटक के कोलार जिले का ब्यौरा क्या है;

(ग) स्वामित्व के अंतर्गत "अधिकारों का रिकॉर्ड" प्राप्त करने वाले व्यक्ति या समूह का ब्यौरा और देश में मध्य प्रदेश सहित "अधिकारों का रिकॉर्ड" द्वारा प्राप्त भूमि रिकॉर्ड के स्वामित्व और कब्जे की कानूनी स्थिति क्या है;

(घ) उक्त योजना के कार्यान्वयन के लिए सरकार द्वारा अब तक व्यय की गयी धनराशि और इसे पूरा करने के लिए आवश्यक अनुमानित राशि कितनी है; और

(ङ) क्या सरकार के पास देश में इस योजना के व्यापक कार्यान्वयन के लिए कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उक्त योजना के अंतर्गत संपत्ति के स्वामी को संपत्ति कार्ड जारी करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

पंचायती राज राज्य मंत्री

(श्री कपिल मोरेश्वर पाटील)

(क) केंद्रीय क्षेत्र की योजना "स्वामित्व" का उद्देश्य कानूनी स्वामित्व अधिकार (संपत्ति कार्ड / हक विलेख) जारी करने के साथ गांवों में देह आबादी क्षेत्रों (आबादी) में घर रखने वाले ग्रामीण गृह मालिकों को 'अधिकारों का रिकॉर्ड' प्रदान करना है। इस योजना के तहत देश के सभी गांवों के ग्रामीण आबादी क्षेत्र में भूमि पार्सलों/ लैंड पार्सलों का सर्वेक्षण किया जाता है। इस स्कीम को पंचायती राज मंत्रालय, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, राज्य राजस्व विभाग, राज्य पंचायती राज विभाग और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के सहयोगात्मक प्रयासों से लागू किया जा रहा है। राज्यों को इस योजना के कार्यान्वयन के लिए भारतीय सर्वेक्षण विभाग के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की आवश्यकता है। अब तक 29 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने भारतीय सर्वेक्षण विभाग के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

(ख) यह योजना कर्नाटक राज्य में चरणबद्ध तरीके से कार्यान्वित की जा रही है। राज्य के 18 जिलों के 2270 गांवों में ड्रोन उड़ाने का काम पूरा कर लिया गया है और अब तक 836 गांवों में संपत्ति कार्ड बांटे जा चुके हैं। कर्नाटक के कोलार जिले में स्वामित्व योजना का कार्यान्वयन शुरू होना बाकी है।

(ग) भूमि और भूमि अभिलेख राज्य का विषय है। स्वामित्व योजना के कार्यान्वयन और संपत्ति कार्ड जारी करने के लिए राज्य / केंद्र शासित प्रदेश अपने संबंधित भूमि राजस्व अधिनियम / नियम / संहिता और / या किसी अन्य प्रशासनिक दस्तावेज में उपयुक्त प्रावधान शामिल करते हैं। मध्य प्रदेश राज्य लाभार्थियों को भूमि-स्वामी अधिकार प्रदान कर रहा है, जो उनके कृषि भूमि रिकॉर्ड/ अभिलेख के समान है।

(घ) वर्ष 2020-2025 तक की अवधि तक इस योजना के कार्यान्वयन की कुल लागत 566.23 करोड़ रुपये है। इस योजना के तहत, भारतीय सर्वेक्षण विभाग को दो घटकों के लिए निधि प्रदान की जाती है - ड्रोन का उपयोग करके बड़े पैमाने पर मानचित्रण (एलएसएम) और सतत संचालन संदर्भ स्टेशन (कॉर्स) की स्थापना। राज्यों को सूचना, शिक्षा, संचार (आईईसी) और राज्य परियोजना निगरानी इकाई (एसपीएमयू) की स्थापना के लिए भी सीमित पैमाने पर निधि उपलब्ध कराई जाती है। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) को स्थानिक योजना एप्लिकेशन 'ग्राम मानचित्र' और केंद्रीय बुनियादी ढांचे के संवर्धन के लिए भी निधि जारी की जाती है। अब तक जारी की गई निधियों का विवरण **अनुबंध** में दिया गया है।

(ड.) चरण 1 में हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, राजस्थान और आंध्र प्रदेश के पायलट राज्यों में वर्ष 2020-21 के दौरान इस योजना के सफल शुभारंभ के बाद, स्वामित्व योजना को वर्ष 2021-22 से पूरे देश में कार्यान्वित किया गया था। अब तक देश के लगभग 31,000 गांवों में संपत्ति कार्ड तैयार किए जा चुके हैं। इस योजना को मार्च, 2025 तक पूरा करने की परिकल्पना की गई है। राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों और भारतीय सर्वेक्षण विभाग के लिए अंतरिम लक्ष्य निर्धारित करना, निगरानी के लिए राज्यों/भारतीय सर्वेक्षण विभाग के साथ नियमित बैठक, राष्ट्रीय, राज्य, जिला और पंचायत में चार स्तरीय निगरानी प्रणाली, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की मदद करना आदि योजना को लागू करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कुछ कदम हैं।

***

अनुबंध

'स्वामित्व योजना के तहत अधिकारों का रिकॉर्ड' के संबंध में दिनांक 15.03.2022 को लोकसभा में उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 2296 के भाग (घ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

<u>जारी की गई धनराशि का विवरण</u>

राशि (करोड़ रूपए में)

एजेंसी	**भारतीय सर्वेक्षण विभाग**		**राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश**	**एनआईसी**
घटक	**एलएसएम**	**कॉर्स**	**आईईसी/ एसपीएमयू**	**'ग्राम मानचित्र' और केन्द्रीय अवसंरचना**
2020-21	20.04	55.42	2.47	2.26
2021-22*	69.82	61.12	2.31	6.19

* 10 मार्च, 2022 तक